न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)

---

1. मिसल नं. 05/2016 तारीख रजू 22.12.2015

उनवान आदेश दि० 16/12/19

1. गोपी
2. रंगलाल | पिता० ओल्या जाति बैरवा नि० दाबड़कुम्बा तह० टोडारायसिंह

— प्रार्थीगण —

बनाम

1. भूल्या पुत्र चतुर्भुज
2. काना पुत्र लादू | जाति धाकड़ निवासी रायसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह
3. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति धाकड़ नि० भगवानपुरा तह० टोडा०
4. भंवरलाल पुत्र ओल्या जाति बैरवा नि० दाबड़कुम्बा तहसील "
5. तहसीलदार टोडारायसिंह (उपपंजीयक)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा — अप्रार्थीगण

एवं

2. मिसल नं. 140/2019 तारीख रजू 31.05.2019

उनवान आदेश दि० 16/12/19

1. गोपी
2. रंगलाल | पि० ओल्या जाति बैरवा निवासी दाबड़कुम्बा तहसील टोडारायसिंह

— प्रार्थीगण —

बनाम

1. भूल्या पुत्र चतुर्भुज
2. काना पुत्र लादू | जाति धाकड़ निवासी रायसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह
3. प्रहलाद पुत्र रामकरण धाकड़ नि० भगवानपुरा तह० टोडारायसिंह
4. भंवरलाल पुत्र ओल्या बैरवा नि० दाबड़कुम्बा तहसील "
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, टोंक — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

एवं

3. मिसल नं. पुराने (5484/2014) नये 02/2019 तारीख रजू 23.07.2011

उनवान आदेश दि० 16/12/19

1. कानाराम पुत्र लादू जाति धाकड़ नि० रायसिंहपुरा तह० टोडारायसिंह
2. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति धाकड़ नि० भगवानपुरा तह० "

— प्रार्थीगण —

बनाम

1. भंवरलाल 2. गोपी 3. रंगलाल पि० ओल्या 4. भूरू 5. रामनिवास 6. ओमप्रकाश पि० कँवरा 7. प्रधान 8. सत्यनारायण पि० भंवरलाल सभी जाति बैरवा नि० दाबड़कुम्बा तहसील टोडारायसिंह — अप्रार्थीगण —

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा —

आदेश

उपरोक्त तीनों प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के है तीनो में पक्षकार भी समान हैं तथा आराजियात भी समान है इसलिए तीनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय एकसाथ किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र सं. 05/2016 व 140/2019 में प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन हैं कि प्रार्थीगण के पिता को आ० ख० नं० 113, रकबा 14:18 बीघा व 113/1 रकबा 0:02 बीघा कुल किता 2 रकबा 15:00 बीघा वाके ग्राम खजूरिया तहसील टोडारायसिंह आवंटित हुई थी बाद में उक्त आराजी के बीच में होकर टोडारायसिंह-केकड़ी जाने वाली सड़क निकल गई जिसमें 8:00 बीघा जमीन चली गयी शेष 7:00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता भोलू की उक्त सड़क के दोनों तरफ रह गई। जो भोलू के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। बरवक्त भू-प्रबन्ध सम्वत् 2050 से 2069 में सड़क के उत्तर वाली जमीन का ख. नं. 239 रकबा 0.94 है० कायम किया। जो भोलू की खातेदारी में लगायी जानी चाहिए थी। उक्त आराजी को साबिक खसरा नम्बर 113/9 के बजाय गलत तौर पर 113/1 की होना बताकर भोलू के खातेदारी में लगाने के बजाय झूलया विपक्षी की खातेदारी में लगा दी जबकि झूलया का वहां हाल ख. नं. 239 रकबा 0.94 है० पर कभी कोई हक ~~[illegible]~~ व कब्जा काश्त ही नहीं रहा। वहां इस स्थान, जमीन पर ~~कोई~~ करीब सम्वत् 2030 से प्रार्थीगण के पिता का हक व उसका व उसके परिवारजन का कब्जा काश्त चला आ रहा है भोलू की मृत्यु 1997 में हो गयी। तब से गोपी, रंगलाल, भंवरलाल वगै. के हक खातेदारी की है व कब्जे काश्त आज भी चली आ रही है। भोलू की खातेदारी में गलत तौर पर केवल उपरोक्त सड़क के दक्षिणी तरफ की आराजी लगा दी जिसका हाल ख. नं. 402 रकबा 1.77 है० कर दिया। इस प्रकार दिखावटी कागजी रकबा तो पूरा लगा दिया परन्तु वहां इतनी जमीन है ही नहीं और न वहां इतनी जमीन कभी भोलू के हक व कब्जा काश्त रहा न प्रार्थीगण का हक व कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की पूरी जमीन ख. नं. ~~239~~ 239 रकबा 0.94 है० व बाकी रकबा ख. नं. 402 में मिलाकर है। अप्रार्थी काना, प्रहलाद ने प्रार्थीगण से कहा कि यह आ. ख. नं. 239 रकबा 0.94 है० विपक्षी झूलया ने हमें बेचान कर दी है एवं रजिस्टर्ड बेचान हमारे पक्ष में करायी है और स्पष्ट तौर पर ऐलानिया धमकियां दी कि अब इस आराजी से तुम अपना कब्जा काश्त हटालो और आइन्दा काश्त मत करना वरना हम तुम्हारा कब्जा काश्त जबरन हटायेंगे। और काश्त करेंगे। व इस आराजी को हमारी इच्छानुसार अन्तरण करेंगे, अप्रार्थी काना, प्रहलाद हमारा कब्जा जबरन हटाकर स्वयं

कब्जा करने एवं आराजी को अन्तरित करने पर उतारु है। अतः दावों के दौरान इस तरह की कार्यवाही के लिए उन्हें पाबन्द किए जाना आवश्यक है तथा था अन्यथा अप्रार्थीगण की हक तलफी व नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति संभव नहीं होगी मुकदमे बाजी बढेगी। व वाद करने का मकसद समाप्त हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाये जाकर दौराने वाद अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये जावे कि वे आ. ख. नं. 239 रकबा 0.94 है० वाके ग्राम खजूरिया प्रार्थीगण का कब्जा काश्त न हटावें उनके कब्जे काश्त में नाजायज हस्तक्षेप न करें स्वयं कब्जा नहीं करें इस आराजी को किसी भी प्रकार हस्तान्तरण या किसी अन्य के पक्ष में नहीं करें। प्रार्थीगण के क्षति नहीं पहुंचावें।

प्रार्थना पत्रों का जवाब अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 3 ने पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं. 2 व 3 ने पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके आ. ख० नं. 239 वाके ग्राम खजूरिया जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जो खरीद के दिन से आज तक मय अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त में चली आ रही थी फसल स. अप्रार्थी नं. 2, 3 ने सम्वत् 2076 में बाजरा तथा सम्वत् 2073 में मूंग काश्त किया थी उक्त आराजी से प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 4 का कोई सरोकार या वास्ता लेश मात्र भी नहीं था और नां. पूर्व में था। जिसके बाबत अप्रार्थी नं. 4 की पूर्व वाद सोडरा बनाम मूल्या कोर्ट में स्वीकृति है कि विवादित आराजी कल्याण पुत्र सुखा बैरवा नि० दाबड़कुम्भा के कब्जे काश्त की थी उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस (कल्याण) का कब्जा काश्त चला आ रहा था आ. ख. नं. 239 के चारों तरफ अप्रार्थी नं. 2 व 3 ने खरीदने के बाद सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर तारबंदी कर रखी थी जो मौके पर ×××××××××× तारबंदी लगी हुई थी जिसको प्रार्थीगण व अप्र. नं. 4 ने दि० 16.10.15 को मौके पर से रखी कुछ तारबंदी को तोड़कर नुकसान पहुंचाया शेष तारबंदी आज भी अप्रार्थी नं. 2, 3 की आराजी पर आज भी तारबंदी लगी हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाने में पेश की थी जिसके FIR NO. 314/2015 है प्रार्थना पत्र असत्य व कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित हैं कि आ. ख. नं. 402 व ख. 239 को मिलाकर साबिक रकबा 7 बीघा के बराबर 1.77 है० की रकबा बैठता था जबकि वास्तविकता यह है कि रिकार्ड के मुताबिक ख. नं. 402 का रकबा 1.77 है० व ख. नं. 239 का रकबा 0.94 है० है इस प्रकार मुताबिक रिकार्ड दोनों ख. नं. का कुल रकबा 2.71 है० होता था एवं प्रार्थना पत्र की प्रार्थना पर अनगानी बनाम गोपी v/s मूल्या मु. नं. 05/2016 में अदालत हाजा द्वारा ख. नं. 402 व 239 के रकबा बराबरी की रिपोर्ट मंगवायी तो उस रिपोर्ट में ख. नं. 402 का रकबा 1.50 है० व ख. नं. 239 का रकबा 0.90 है० ही रकबा बैठता था उक्त

0.50 हैक्टेयर/जरिया इसप्रकार
दोनों खातानम्बरों का कुल रकबा, बरम्प रिकार्ड प्रार्थना पत्र के अनुसार 1.11 हैक्टेयर ही बैठता है, पहुंचा साबित हो जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 5 के पिता स्व० भोलू पुत्र मुन्ना को जमीन रोडाएजेंसी से केकड़ी जाने वाली रोड़ के दोनों तरफ यानि उत्तर व दक्षिण की तरफ स्थित था मौके पर उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। जबकि भोलू व भाई कल्याण की लड़की सोदरा ने वर्ष 2001 में एक बाद बाबत घोषणा/खाते इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अदालत हाजा में पेश किया गया था जिसके मु.नं. 78/2001 व उनवान सोदरा ब. मुन्ना वगैरा था इस प्रकरण में सोदरा स्वयं व गवाह रूप मंगलाल अप्रार्थी नं. 5 व अन्य गवाहान ने विवादित आराजी पर आवंटन के दिन से ही कल्याण पुत्र मुन्ना व इसकी मृत्यु के बाद सोदरा का कब्जा काश्त बताया है एक आराजी पर एक ही समय में दो अलग 2 व्यक्तियों का कैसे कब्जा संभव हो सकता है। अप्रार्थी नं. 5 मंगलाल प्रार्थना पत्र पेश करने के दिन बाहर गया हुआ होने से वाद में वादी की हैसियत से पक्षकार नहीं बनाया जा सका सहखातेदार होने की वजह से अप्रार्थी बनाया है बल्कि वास्तविकता यह हैं कि अप्रार्थी ने उनवानी प्रकरण सोदरा बनाम मुन्ना मु.नं. 78/2001 में बतौर गवाह उसने दि. 15.5.2015 को बयान दिये थे कि आराजी ख. 239 रकबा 0.95 हैक्टेयर वाके ग्राम खजूरिया तह० रोडाएजेंसी में वादिया सोदरा का कब्जा हैं एवं उससे पूर्व कल्याण पुत्र मुन्ना व हाबड़ पुत्र मुन्ना का कब्जा था इसलिए सोची समझी युक्ति के अनुरूप अप्रार्थी नं. 5 को प्रा०पत्रों में प्रार्थी :- बनाकर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये हैं, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं. 2 व 3 के हक में अप्रार्थी नं. 1 द्वारा करवाये गये रजि० बैनामे को निरस्त करने के लिए एक वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मालपुरा के न्यायालय में 2015 में ही पेश कर दिया था जिसका उनवान गोपी बनाम ... काना वगैरा हैं जो वर्तमान में विचाराधीन है इस तथ्य को भी प्रा०पत्रों में छिपाया है प्रार्थीगण मलीन हृदय से नहीं आये हैं। पूर्व वाद 8/16 की प्लीडिंग से पश्चात् वर्ती वाद की प्लीडिंग बाधित है नई प्लीडिंग नहीं ला सकते हैं अतः जवाब पेश कर निवेदन हैं कि उक्त दोनों प्रा०पत्र गोपी बनाम मुन्ना खारिज फरमाये जावे।

तथा इसी प्रकार प्रार्थना पत्र नं. पुराने 485/2015 व नये नं. 07/2016 उनवानी काना/मेवा/मंगलाल में प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आ.ख.नं. 239 रकबा 0.95 हैक्टेयर वाके ग्राम खजूरिया तहसील रोडाएजेंसी में स्थित है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिसको प्रार्थीगण काश्त कर लगान राज में अदा करते आ रहे हैं प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजी से अप्रार्थीगण अपना

अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना सरोकार अधिकार किसी प्रकार का नहीं है अप्रार्थीगण अनुचित लाभ के व्यक्तियों की संख्या, बल में अधिक होने का बेजा फायदा उठाकर प्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है दि० 15.7.2015 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में फसल ज्वार काश्त करने गये तो अप्रार्थीगण आदि किशोर व प्रार्थीगण को उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने व बेजा मजाहमत की धमकी दी तथा कहा कि आइन्दा इस आराजी पर काश्त करोगे व तुम्हारी काश्त शुदा फसल को उखेल देंगे। व बेदखल करेंगे। जिस पर यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ। दौराने दावा यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण की उपरोक्त हरकतों की वजह प्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी। दावा करने का अधिकार ही समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो स्वयं जरिये किसी नौकर चाकर, एजेन्ट प्रतिनिधि वगै. के आ.ख.नं. 239 रकबा 0.94 है० वाके ग्राम खजूरिया तह० [illegible] में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में जबरन बेजा मजाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। जबरन बेदखल नहीं करें, काश्त शुदा फसल नष्ट नहीं करें। फसल बोने काटने से मना नहीं करें। स्वयं जबरन कब्जा काश्त नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी. को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधि० श्री रवि जैन ने वकालतनामा पेश किया तथा दि० 9.5.15 को अप्रार्थी नं. 1,7,8 की ओर से अधि० श्री जैन ने हिदायत हासिल नहीं होना जाहिर करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की गयी। शेष अप्रार्थीगण नं. 2 लगा० 6 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आ.ख.नं. 239 रकबा 0.94 है० से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है उक्त आराजी गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम से पूर्व खातेदार मूलचन्द के नाम दी जिसे प्रार्थीगण ने जमीन खरीदी थी गलत रूप से खातेदारी में दर्ज थी जो भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से की गयी थी ख.नं. 239 रकबा 0.94 है० ग्राम खजूरिया अप्रार्थीगण की मालिकी आराजियात थी जिसके मालिक ख.नं. 113/9 है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त

चली आ रही थी अप्रार्थीगण के नाम माल रिकार्ड में 1432 रकबा 14.18 बीघा व 1141 रकबा 0.02 बीघा कुल 15.00 बीघा वाके ग्राम खजूरिया अप्रार्थीगण के पिता मोडू को सम्वत 2013 आवंटन हुई थी उपरोक्त आराजी में से सम्वत 2018 में टोडा केकड़ी सड़क निकाल दी गई जिसमें 8.00 बीघा जमीन सड़क में चली गयी जिसकी एवज में ख.नं. 5811 में 8.00 बीघा खजूरिया में आवं. की गई। जिसके हाल ख.नं. 332 है। अप्रार्थीगण के पिता की आराजी में से उपरोक्त सड़क निकलने के बाद सड़क के दोनों तरफ उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में शेष रह गयी। उत्तर की ओर की हाल ख.नं. 239 रकबा 0.94 हे० सड़क के दक्षिण की तरफ की ख.नं. 402 रकबा 1.77 हे० बताया गया है परन्तु वहां इतनी जमीन पर अप्रार्थीगण के काश्त में नहीं थी सड़क के उत्तर की तरफ की इतनी आराजी ख.नं. 239 व सड़क के दक्षिण के तरफ की दोनों तरफ की आराजी को मिलाकर रकबा 1.77 हे० अप्रार्थीगण के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही थी व उनकी मृत्यु सन 19.. में हो चुकी थी तदोपरान्त यह आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही थी। सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध में अप्रार्थीगण की आ. ख.नं. 1132 के हाल ख.नं. 239 को गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम लगा दिया गया। जबकि वास्तविक तौर पर पुराने रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में हाल ख. 239 की उत्तरी ओर व दक्षिणी ओर रास्ते के सहारे ख.नं. 402 में से 0.83 हे० जो सड़क के सहारे सहारे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया जिस बाबत अप्रार्थीगण नं. 2 की ओर से [illegible] द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश मालपुरा के यहां ख.नं. 2.. के खातेदार [illegible] द्वारा प्रार्थीगण को वर्तमान में जमीन रजिस्टर्ड करने के कारण दावा उत्तराधिकार, रद्द किये जाने विक्रय पत्र व प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

गोपी वगैरा ने अपने प्रा०पत्रों के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2056 से 59 खजूरिया खाता सं. 111.110, मिलान क्षेत्रफल, पर्चा लगान भू-प्रबन्ध, पर्चा नोटिस भू-प्रबन्ध, नकल साबिक जमाबंदी खतौनी सं. 145, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस शीट, गिरदावरी सम्वत 2019 से 2022, सम्वत 2014-17, नकल शीट, गिरदावरी सम्वत 2035-38, सम्वत 2043-46, नामा. सं. 227, जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025, बाहर भू-प्रबन्ध, जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2050-2069, नामा० सं. 143, पर्चा खतौनी, मजहरनामा दि० 23.12.2015, नक्शा, जमाबंदी सम्वत 2068-71 खाता सं. 115, खसरा सं. 2020-22, जमाबंदी सम्वत 2014-2017, जमाबंदी सम्वत 2030-33, मु.नं. 273/2014 बनाम [illegible] प्रहलाद [illegible] न्यायालय सिविल न्यायालय टोडा,

बयान काना पुत्र लादू आकड़, दुर्गा देवी पत्नी प्रहलाद आकड़, सरजू w/o मोजाराम गूजर, जमाबंदी सम्वत् 2068-71 खाता सं. 115, 132, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032-35, नक्शा सम्वत् 1987, खसरा भू प्रबन्ध बिगवा, पर्चा लगान भू-प्रबन्ध, जमाबंदी संवत् 2038-41, नक्शा, पर्चा खतौनी बंदोबस्त (भू-प्रबन्ध), विक्रय पत्र मूलचा s/o चतुर्भुज आकड़ बहक कानाराम s/o लादू व प्रहलाद s/o रामकरण आकड़ दि० 11/5/2012 पेश किये।

इसी प्रकार मूलचा वगैरा ने जमाबंदी सम्वत् 2022-25, आदेशिका उनवानी प्रकरण सं. 6/14 रामलाल गोपी बनाम कान वगैरा, वरिष्ठ सिविल न्यायालय मालपुरा, जमाबंदी सम्वत् 2012-?, खाता सं. 18 खिजूरिया, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2050-69, जवाब-जवाब उनवानी वाद सोभाग बनाम मूलचा (मु. नं. 78/2007), नकल बयान सोभाग, बयान लादूराम, बयान मंगलाल बैरवा, आदेशिका उनवानी वाद सं. 78/2007, संशोधित टाईटल, वादपत्र, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072-75, नकल जांच रिपोर्ट परिवाद SDM सा० थानाधिकारी टोडा० दि० 13.10.2016, नकल FIR No. 230/14, नकल चार्जशीट पेश किये।

बहस अधि० उभयपक्ष सुनी गयी। जो मुकदमा उपरोक्त प्रार्थना पत्रों एवं जवाबों के अनुसार रही। विद्वान अभिभाषक गोपी वगैरा ने अपने तर्कों के समर्थन में RRD 2006 Page 82, RRD 2007 Page 881, 2017RBJ312, RRD 2007 Page 750, का हवाला दिया तथा विद्वान अभिभाषक मूलचा वगैरा ने अपने तर्कों के समर्थन में RRT 2013(1) Page 134, RRT 2013(2) Page 828, RRT 2015(1) Page 618, 633, RRT 2011-12 (Supp.) Page 217, RRD 2012 Page 20 का हवाला दिया।

हमने पत्रावलियों का आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार गोपी, रंगलाल, मंगलाल वगैरा के पिता के नाम साबिक रिकार्ड नकल जमाबंदी खतौनी सं. 145 में भोलू पुत्र सुखा के नाम दर्ज खातेदारी में ख. नं. 58/1 मि. रकबा 8:00 बीघा तथा ख. नं. 113/1-113/2 रकबा 7:00 बीघा वाके ग्राम खिजूरिया दर्ज थी। जिनके हाल ख. नं. क्रमशः 332 रकबा 2.02 है०, 402 रकबा 1.77 है० मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2050-2069 के साबित है। तथा आ० ख० नं० 239 रकबा 0.94 है० खातेदार मूलचा पुत्र चतुर्भुज जाति आकड़ सा० रामसिंहपुरा की खातेदारी में थी। जिसे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कानाराम पुत्र लादू आकड़ नि० रामसिंहपुरा व प्रहलाद पुत्र

रामकरण जाति धाकड़ साकिन भगवानपुरा ने क्रय कर लिया थी जो जमाबंदी सम्वत् 2068-71 माके ग्राम खिजूरिया की खतौनी सं. 132 से साबित है। अर्थात् आ०ख०नं. 239 रकबा 0.94 है० जोत कि विवादग्रस्त आराजी बाबत् प्रार्थना पत्र लगाई थी जिसके काना पुत्र लाडू धाकड़ व प्रहलाद पुत्र रामकरण धाकड़ रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों की नक्शा ट्रेस में तरमीम भी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पूर्व में दावा मु.नं. 78/2007 उजनाती सोदरा बनाम मूलया वगैरह में स्वयं सोदरा व उसके गवाहान भंवरलाल पुत्र भोलू बैरवा ने विवादित आराजी ख.नं. 239 रकबा 0.94 है० पर आवंटन के दिन से ही कल्याण पुत्र सुखा व उसकी मृत्यु के बाद सोदरा का कब्जा कास्त बताया है। जबकि गोपी, रंगलाल पिसरान भोलू बैरवा अपना कब्जा होने का कथन कर रहे थे जाहिर है कि पूर्ववर्ती वाद सोदरा बनाम मूलया मु.नं. 78/2007 में भंवरलाल पुत्र भोलू बैरवा अपने बयानात में वादिया सोदरा का कब्जा कास्त होना बता रहा है तथा हस्तगत प्रकरणों में अपने भाईयों गोपी, रंगलाल पिसरान भोलू बैरवा का कब्जा कास्त होने की अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है। भोलू बैरवा के खातेदारी में आ० ख० नं. 58/1 रकबा 8:00 बीघा भूमि खातेदारी में भी मिलान क्षेत्र फल के अनुसार साबिक ख.नं. 58/1 रकबा 8:00 बीघा से हाल ख.नं. 332 रकबा 2.02 है० बना है तथा साबिक ख.नं. 113/1 - 113/9 रकबा 7:00 बीघा के हाल खसरा नम्बर 402 रकबा 1.77 है० बने है जो कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड भंवरलाल, गोपी, रंगलाल पि० भोलू बैरवा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भोलू की खातेदारी भूमि का गत रिकार्ड में दर्ज रकबे के बराबर हाल रिकार्ड में रकबा पूरा है। ~~खसरा~~ गिरदावरी अनुसार भी खातेदारी के मुताबिक ही कब्जा कास्त संबंधित खातेदारान का ही होना जाहिर है। कानूनन रिकार्डेड खातेदारान के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है विद्वान अधिवक्ता मूलया वगैरह द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों में भी स्पष्ट उल्लेख है कि रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों में प्रतिपादित किया है कि :-

"No temporary injunction can be granted against the recorded tenant."

-9-

इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता मूल्या वगैरह द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त बखूबी चस्पा होते थे तथा गोपी वगैरह द्वारा प्रस्तुत होने अर्जी न्यायदृष्टान्तों के आधार पर पेश किया जाना चाहिए थे स्वच्छ हाथों से नहीं आये। खातेदार रामा पुत्र मांगू जाति व प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति जो कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं. उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति में उन्हें अपूरणीय क्षति होना चाहिए है, प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी इन्हीं के पक्ष में होना चाहिए है। तहसीलदार से प्राप्त रकबा बाबत रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 239 का रकबा 0.90 हैक्टेयर है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र संख्या 05/2016 उनवानी गोपी वगैरह बनाम मूल्या वगैरह तथा प्रार्थना पत्र संख्या 130/2019 उनवानी गोपी वगैरह बनाम मूल्या वगैरह चलने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप उक्त दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं तथा दोनों प्रार्थना पत्रों में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक क्रमशः 29/12/... व 31.01.2019 भी अपास्त किये जाते हैं। दस्ती जारी हो तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हा. पुराने नं. 484/2014 व नये नं. 02/2017 वाकेसला नाम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण भंवरलाल वगैरह के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे स्वयं जरिये किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि वगैरह के आराजी ख० नं० 239 रकबा 0.95 है० वाके ग्राम खिजुरिया तहसील टोडारायसिंह में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में जबरन बेजा मजाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। जबरन बेदखल नहीं करें। काश्तशुदा फसल को नष्ट नहीं करें। फसल बोने काटने से मना नहीं करें। स्वयं जबरन कब्जा काश्त नहीं करें। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

आदेश आज दिनांक 16/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की प्रतियां तीनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(टोडारायसिंह (टोंक))
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह